

FORM NO. III
फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम खेतड़ी
..... दीपाराम बनाम राजस्थान सरकार
किस्म मुकदमा 136 L.R. M.C. नं. 134 / सुन / 2021

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
मे जारी हुए

05/10/2024 शर्ची द्वारा यह शर्चना फर्द प्रस्तुत करने पर तहसीलदार खेतड़ी से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आज यह फर्दा पत्नी प्रशासन गांवों के संग बमिया 2021 के तहत ग्राम पंचायत सेफ्टीगुंवा में आयोजित कैंप में पेश हुई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक खपलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार खेतड़ी की रिपोर्ट के अनुसार शर्ची का नाम राजस्थान रिकॉर्ड में विक्रय फर्द से आया है। कुंठि शर्ची का नाम राजस्थान रिकॉर्ड में विक्रय फर्द से आया है, फिर काष्ण शर्ची का नाम न्यू-राजस्थान इधिमिपु की धारा 136 के अन्वये प्रमाणित नहीं होने से शर्ची का नाम हटाया गया। न्यायोचित और नहीं होता है। अतः शर्ची का शर्चना पर हकीकत किया जाना है। निर्णय मजदमे नाम में सुनाया गया। पत्रावली कुंठि शुभा व फर्द नम्बर से एक छोटा कागज देखा है।

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी जि. सुन्डुनू (राज.)

